मानक शर्ते

उ० प्र० शासन /वन विभाग द्वारा मानक शर्त तथा उसके मान्य होने का प्रमाण-पत्र आदेसनादेश संख्या:- 7314/14.3.980/82, दिनांक 31.12.1984

1. भूमि स्थानान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा यह पूर्व की भाती रक्षित/ आरक्षित वन भूमि बना रहेगा ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा । अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित अथवा किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग,संस्था विशेष को स्थानांतरित नहीं करे ।
4. भूमि का सयुंक्त निरीक्षण करके सुनिशिचत कर लिया गया है के मांगी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है ।
5. हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पंहुचाएगे और ऐसा किये जाने पर सम्बंधित अधिकारी द्वारा मुआवजे का भुगतान विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बंधित वनाधिकारी के देखरेख में कराएगा तथा इसके सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा ।
7. हस्तान्तरित वन भूमि वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियो के निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छदित एवं वन जन्तुओ से भरपूर वन क्षेत्रो का हस्तांतरण तथा संभव प्रस्तावित न किया जाए केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं वन जन्तुओ के स्वछंद विचरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित के जाएगी । -लागू नहीं है ।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियो/ पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को नि:शुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । -लागू नहीं है ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य परियोजना हेतु करने अथवा विभाग / संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वत: बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस की जाएगी । वन भूमि तथा सयुंक्त स्थान निरीक्षण करके सम्बंधित उप वन सरंक्षक द्वारा निशिचत की जायेगी जिस पर संबधित वन सरंक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा इस पर निर्मित भवन आदि स्वत: बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जाएगी ।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर अलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्थल पर वन विभाग को परामर्श लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन लो० नि० वि० द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पर्वतीय क्षेत्र) पौड़ी को संबोधित पत्र स० 698 सी० दि० 10.02.1982 में लिखित आदेशो का पालन लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र से सम्बंधित प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा । कि अपना मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का मामूली फेरबदल कराना आदि विभाग के खर्चे से प्रस्तावित होगा और नई सड़क का निर्माण भी आवश्यक है । -लागू नहीं है ।

12. वन भूमि का मूल्य संबोधित जिलाधिकारी प्रद्दत मूल्य सम्बंधित प्रमाण पत्र के आधार पर संकलित किया जायेगा जो याचक विभाग को मान्य होगा ।

13. वन भूमि पर खड़े व वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ० प्र० वन विभाग द्वारा अथवा अन्य उपयुक्त प्रक्रिया से जो वन विभाग उचित समझे यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो जो विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा । -लागू नहीं है

14. हस्तान्तरित वन भूमि में पड़ने वाले वृक्षों का प्रतिकर याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दो पेड़ो का रोपड़ तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा का भुगतान करना होगा । 1000 मी० से व 20 डिग्री से अधिक ढाल वन खड़े वृक्षों का पालन निषिद्ध है । इसी प्रकार बीच के पेड़ो का पातन भी वर्जित है । ऐसे वृक्षों के पतन का निरीक्षण वन सरंक्षक स्टार पर ही हो सकेगा । - लागू नहीं है ।

15. वन भूमि के ऊपर से विधुत लाइन से जाने में तथा संभव पेड़ो का कटान नहीं किया जायेगा । या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा । यदि फिर भी पेड़ो का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है टो न्यूनतम पेड़ो की संख्या सयुंक्त स्थल निरीक्षण करके संबद्धित उप वन सरंक्षक द्वारा निशिचत की जाएगी जिस पर सम्बंधित वन सरंक्षक का अनुमोदन आवश्यक है ।-लागू नहीं है ।

16. यदि नहर आदि का निर्माण में भूसंरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं कराएगा । -लागू नहीं है ।

17. उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते दर्शायी जाती है तो याचक को मान्य होगा ।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरित तभी किया जायेगा जब उक्त शर्तो का पुरी तरह पालन कर दिया जाए अथवा समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए ।

PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR